

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर, राज्य सरकार के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है। प्रतिवेदन चार अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1- अवलोकन: यह अध्याय प्रतिवेदन और अंतर्निहित डेटा का आधार और दृष्टिकोण, सरकारी लेखों की संरचना का अवलोकन, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के समष्टि वृहत वित्तीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है।

अध्याय-2- राज्य के वित्त: यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्ति, राज्य की ऋण की रूपरेखा और लोक लेखाओं के लेन-देन को राज्य के वित्त लेखों के आधार पर प्रस्तुत करता है।

अध्याय-3- बजटीय प्रबंधन: यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर आधारित है।

अध्याय-4- लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार : यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन नहीं करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति

राज्य की वित्तीय स्थिति को तीन प्रमुख वित्तीय मानकों राजस्व घाटा/ अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के अनुपात में बकाया ऋण के रूप में देखा जाता है। वर्ष 2009-10 और 2014-15 को छोड़कर वर्ष 2006-07 से राज्य राजस्व अधिशेष राज्य था। 2019-20 के दौरान, राजस्व अधिशेष ₹ 1,960 करोड़ था। हालांकि, इस अधिशेष को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कारणों में योगदान न करने और पूंजी श्रेणी के तहत राजस्व मर्दों के गलत वर्गीकरण के आलोक में देखा जाना चाहिए। इन्हें शामिल करने से राज्य को 2019-20 के दौरान ₹ 440.16 करोड़ का राजस्व अधिशेष होता।

पंचवर्षीय अवधि 2015-20 के दौरान, राज्य का बकाया ऋण स.रा.घ.उ. के 27.36 और 28.73 प्रतिशत के बीच रहा, जो झारखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट

प्रबंधन अधिनियम, 2007 के तहत तैयार मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था।

(अध्याय-1 एवं 2)

राज्य के वित्त

सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आँकने के लिए घाटे का संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन प्रमुख मापदण्ड हैं।

राज्य में वर्ष 2019-20 में ₹ 1,960 करोड़ का राजस्व अधिशेष था। एफ.आर.बी.एम लक्ष्य और एफ.एफ.सी. मानदण्ड तीन प्रतिशत के विरुद्ध राज्य का राजकोषीय घाटा मार्च, 2020 के अंत तक स.रा.घ.उ. का 2.45 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय में, सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 से लगातार बढ़ा है, जबकि, आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 में 45.33 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 35.48 प्रतिशत हो गया। 2015-20 के दौरान सामाजिक सेवा पर व्यय का हिस्सा 31 से 35 प्रतिशत के बीच दोलित था।

राज्य के कुल व्यय में राजस्व व्यय 85 प्रतिशत था, जिसका 42.74 प्रतिशत वेतन, सब्सिडी, ब्याज और पेंशन भुगतान पर खर्च किया गया।

सामाजिक सेवाओं पर 11 प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 13 प्रतिशत के कम व्यय के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 833 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च, 2020 को समाप्त राज्य के वार्षिक लेखा के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से ₹ 447.95 करोड़ का निवेश सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं में किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 2019-20 के दौरान "शून्य" था जबकि सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान उधार पर 6.34 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण की एक बड़ी राशि मार्च, 2020 (₹ 20,846 करोड़) के अंत तक बकाया है।

कुल मिलाकर वित्तीय देनदारियाँ 2018-19 में ₹ 83,783 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 94,407 करोड़ हो गईं। राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 28.73 प्रतिशत के विरुद्ध 27.10 प्रतिशत था। बढ़ते दायित्वों राज्य सरकार के लिए वित्त की वहनीयता का मुद्दा था। बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन भी अब तक नहीं किया गया है।

झारखण्ड सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन से कोई ब्याज नहीं दिया था, जो 2011-20 की अवधि के लिए ब्याज की लागू दरों पर ₹ 681.76 करोड़ का होता है। यद्यपि झारखण्ड सरकार ने उस वर्ष के दौरान

हास निधि में ₹ 280.16 करोड़ का बजट प्रावधान किया, फिर भी इसका अंतरण नहीं किया गया।

(अध्याय 2)

बजटीय प्रबंधन

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल बचत ₹ 23,984.71 करोड़ (कुल बजट का 25.31 प्रतिशत) अनियमित बजट अनुमान का द्योतक है। आगे, इन अनुदानों में अंतिम चार वर्षों के दौरान कम से कम ₹ 6,184.28 करोड़ की सतत बचत हुई।

वर्ष के दौरान 58 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) में प्राप्त कुल ₹ 9,272.22 करोड़ (99.37 प्रतिशत) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

वर्ष 2001-02 से 2017-18 तक के अनुदान/विनियोग पर ₹ 3,015.37 करोड़ की राशि का अत्यधिक संवितरण का राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान एक अनुदान एवं एक विनियोग में ₹ 313.32 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

(अध्याय 3)

लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

मार्च 2020 तक एकत्रित ₹ 550.18 करोड़ राशि का श्रम उपकर को श्रम कल्याण बोर्ड (अक्टूबर, 2020) में स्थानांतरित नहीं किया गया जिससे राजस्व अधिशेष बढ़ा और राजकोषीय घाटे में कमी हुई और यह राज्य की अलेखित दायित्वों को दर्शाता है।

झारखण्ड राज्य विधुत नियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी.) द्वारा एकत्र की गई फीस, लोक लेखा से बाहर जे.एस.ई.आर.सी. के राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखी गई थी। जैसे 2014-15 से 2019-20 के दौरान राज्य के लोक लेखा के बाहर ₹ 32.90 करोड़ की प्राप्तियाँ रखी गईं। राज्य में 31 मार्च, 2020 तक ₹ 69,702.99 करोड़ राशि के 29,358 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) 2019-20 तक विभिन्न विभागों द्वारा बकाया थे।

आकस्मिक विपत्र पर धनराशि का आहरण और निर्धारित समय के भीतर विस्तृत विपत्र को जमा न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन भंग होता है, बल्कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और गलत प्रथाओं का जोखिम भी रहता है। 31 मार्च 2020 तक, 2019-20 तक निकालें गए आकस्मिक विपत्र के विरुद्ध भारी मात्रा में विस्तृत विपत्र (18,219) की राशि ₹ 6,444.44 करोड़ जमा नहीं की गई थी।

(अध्याय 4)

